भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
सीप्ज़ विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण
अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400096

Government of India
Ministry of Commerce & Industry
SEEPZ Special Economic Zone Authority
Andheri (E), Mumbai - 400096

वेबसाइट: www.seepz.gov.in | ई-मेल: dcseepz-mah@nic.in | टेलीफोन: 022-28290856/28294700

F.No. **E-OPT-12/21/2022-EO/05095** Date: 11-04-2025

Clarification to Circular No. 02 Dated 03.01.2025

Subject: Clarification to Circular No. 02/2025 Dated 03.01.2025 – Applicability of Administrative Charges for Transfer of Assets & Liabilities Under Rule 74A of SEZ Rules, 2006-reg.

प्राधिकरण की 70वीं एवं 71वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, दिनांक 03.01.2025 के परिपत्र संख्या 02/2025 में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किए गए हैं:

प्रशासनिक शुल्क: एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत आने वाले किसी भी उद्यमी या एनसीएलटी/डीआरटी/लिक्विडेटर/वित्तीय संस्थान द्वारा आवंटन के लिए प्रशासनिक शुल्क की गणना निम्नानुसार की जाएगी:

1. **न्यूनतम दर:** लेनदेन लागत/मूल्यांकन का 3% न्यूनतम प्रशासनिक शुल्क लागू होगा।

2. **लेनदेन लागत/मूल्यांकन:** परिसंपत्तियों का लेनदेन लागत/मूल्यांकन समझौते, एमओयू या पार्टियों के बीच निष्पादित किसी अन्य कानूनी साधन में उल्लिखित लेनदेन मूल्य पर आधारित होगा। (जो भी अधिक हो)

3. **भुगतान शर्तें:** उप-पट्टा समझौते के निष्पादन से पहले आने वाले उद्यमी द्वारा शुल्क का भुगतान किया जाना चाहिए।

4. **भुगतान का तरीका:** भुगतान राइज ईआरपी मॉड्यूल के माध्यम से किया जाएगा।

प्रभावी तिथि और प्रयोज्यता: ये शुल्क 70वीं

In accordance with the decision taken in the 70th and 71st Authority Meeting, the following partial modifications are made to Circular No. 02/2025 dated 03.01.2025:

Administrative Charges: Any incoming entrepreneur under Rule 74A of SEZ Rules, 2006, or allotment by NCLT/ DRT/ Liquidator/ Financial Institution, the administrative charges shall be calculated as follows:

1. **Minimum Rate:** A minimum administrative charge of 3% of Transaction cost/valuation shall be applicable.
2. **Transaction Cost/Valuation:** The transaction cost/valuation of assets will be based on the transaction value mentioned in the agreement, MOU, or any other legal instrument executed between the

प्राधिकरण बैठक के मिनट्स ऑफ मीटिंग (एमओएम) जारी होने की तिथि अर्थात 11.10.2024 से लागू होंगे और अगले आदेश तक लागू रहेंगे। ये शुल्क एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के तहत हस्तांतरित सभी संपत्तियों या एनसीएलटी/डीआरटी/लिक्विडेटर/वित्तीय संस्थान द्वारा आवंटन पर लागू होंगे, जिसमें एसईईपीजेड एसईजेड के भीतर मौजूदा एलओए में स्वीकृति पत्र (एलओए) या अतिरिक्त स्थान हो, जहां स्वीकृति (एलओए) या एसईईपीजेड एसईजेड 11.10.2024 को या उसके बाद दी जाती है। एलओए लेनदेन लागत तदनुसार लागू होगी। इसे एसईईपीजेड-एसईजेड प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

parties. (Whichever is higher)

3. **Payment Conditions:** The charges must be paid by the incoming entrepreneur before the execution of the sublease agreement.
4. **Mode of Payment**: Payment shall be made through Rise ERP Module.

Effective Date & Applicability: These charges shall be applicable with effect from the date of issuance of the Minutes of Meeting (MOM) of the 70th Authority Meeting, i.e., 11.10.2024, and shall remain in force until further orders.

These charges shall be applicable to all properties transferred under Rule 74A of SEZ Rules, 2006, or allotment by NCLT/ DRT/ Liquidator/ Financial Institution wherein a Letter of Approval (LOA) or additional space in an existing LOA within SEEPZ SEZ, where approval is granted on or after 11.10.2024. The transaction cost shall apply accordingly

यह सीप्ज-एसईजेड प्राधिकरण के अध्यक्ष के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This is issued with the approval of Chairperson, SEEPZ-SEZ Authority.

Signed by Mital Sudhir Hiremath
Date: 11-04-2025 18:08:47
(मितल हिरेमठ)

संयुक्त विकास आयुक्त,
सीप्ज़-सेज़

प्रतिलिपि,

1 सभी यूनिटधारक, सीप्ज़-सेज़
2 डीसीओ,जेडीसीओ,डीडीसीओ, सीप्ज़-सेज़
3 आईए-I अनुभाग, सीप्ज़-सेज़
4 संपदा वित्त अनुभाग, सीप्ज़-सेज़
5 ईआरपी, सीप्ज़-सेज़
6 कार्यालय आदेश फ़ाइल/रजिस्टर